उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

गुरूवार, 27 फाल्गुन, शक संवत्, 1931

(दिनांक : 18 मार्च, 2010)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।
2. प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)।
3. निधन के निदेश।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के अन्तर्गत रायपुर विकास खण्ड के ग्राम सभा नत्थनपुर में अलकनन्दा इन्कलेव से मोहकमपुर, मोहकमपुर से राजेश्वरी विहार, लोअर नत्थनपुर मार्ग के डामरीकरण के संबंध में'' श्री ओ0 पी0 सकलानी, निवासी- विवेकानन्द ग्राम फेज- 2, नत्थनपुर, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
6. श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत एकता विहार, लेन न0- 11, में झूलती विद्युत तारों को ठीक करने हेतु खम्बे लगाये जाने के संबंध में'' श्री नरेन्द्र बहुगुणा, निवासी- एकता विहार, लेन नं0- 11, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
8. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
9. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
10. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

    (कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"ग"**)
11. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
12. वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
13. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय **(पन्द्रह मिनट)**।
14. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

15. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय **(पन्द्रह मिनट)**।

16. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

17. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय **(पन्द्रह मिनट)**।

18. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

19. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि, उत्तराखण्ड राज्य को प्रदत्त औद्योगिक पैकेज जिसकी अवधि माह मार्च, 2010 में समाप्त हो रही है, को वर्ष 2020 तक बढ़ा दिया जाय।"

20. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाई के निराकरण हेतु यथोचित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें।"

21. वित्तीय वर्ष 2007-08 व 2008-09 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत प्रदेश को स्वीकृत धनराशि में से खर्च की गयी धनराशि विषयक दिनांक 09 मार्च, 2010 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-01 के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

22. उत्तराखण्ड के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ कराये जाने विषयक दिनांक 10 मार्च, 2010 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-03 के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

23. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

24. जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत लगभग एक दर्जन गावों में विद्युत संकट के संबंध में श्री शेर सिंह गड़िया, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2010 को दी गई सूचना पर, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

25. उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को सम्मान आदि न मिल पाने से फैले असन्तोष के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2010 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 18 मार्च, 2010

(महेश चन्द्र)
प्रमुख सचिव।

नत्थी 'ग'

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 मार्च, 2010 की बैठक में दिनांक 18 मार्च, 2010 से दिनांक 22 मार्च, 2010 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है:–

मार्च, 2010

18 (गुरूवार)

1. वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

2. **विधायी कार्य**

(1) उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(3) उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

3. **सरकारी संकल्प**

(1) ''यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि, उत्तराखण्ड राज्य को प्रदत्त औद्योगिक पैकेज जिसकी अवधि माह मार्च, 2010 में समाप्त हो रही है, को वर्ष 2020 तक बढ़ा दिया जाय।''

(2) ''यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाई के निराकरण हेतु यथोचित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें''

मार्च, 2010

19 (शुक्रवार)

1. वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

2. **विधायी कार्य**

(1) उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन), विधेयक 2010 के विचार एवं पारण हेतु ~~तिथि एवं समय निर्धारण पर विचार एवं पारण~~। (15 मिनट)

3. **असरकारी संकल्प**

(1) श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित की जाय"

(2) श्री अजय टम्टा सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा :–

"यह माननीय सदन प्रबल सिफारिश करता है कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत तथा प्रशासनिक दृष्टि से जन सामान्य को सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश में वर्तमान विकास खण्डों की संख्या को बढ़ाते हुए नए विकास खण्डों के सृजन पर गंभीरता से विचार किया जाय, विशेषकर जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मछखाली, मझोड़, जालली, सोमेश्वर नये विकास खण्ड बनाये जाने तथा प्रदेश में लगभग 30 नये विकास खण्डों का निर्माण किए जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाय।"

4. **नियम 105 के अन्तर्गत प्रस्ताव**

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर से जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया तक रेलवे लाईन बिछाई जाय ताकि उक्त सुदूर क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके।"

(2) श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा :–

"प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक पर्यटन के नये आयाम तलाशे जाएं।"

(3) डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किया जाय।"

मार्च, 2010

20 (शनिवार), 21 (रविवार) बैठक नहीं होगी।

मार्च, 2010

22 (सोमवार) वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

गुरूवार, 27 फाल्गुन, शक संवत्, 1931

(दिनांक : 18 मार्च, 2010)

नत्थी ''क''

अल्पसूचित प्रश्न

श्री केदार सिंह रावत 25.02.2010	** क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि मनेरी भाली द्वितीय चरण की इकाईयों में रेता बजरी सफाई हेतु जल विद्युत निगम द्वारा करोड़ों रूपये व्यय किया गया है? क्या यह सत्य है कि निगम सफाई में प्राप्त बजरी रेता से अत्यधिक रॉयल्टी प्राप्त कर सकता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा
श्री तिलक राज बेहड़ 02.03.2010	** क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में राज्य सरकार की अनुमति से क्रय की गयी भूमि का भू–उपयोग महायोजना में उसी उपयोग में रखा गया है, जिस उद्देश्य हेतु भूमि क्रय की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों और क्या ऐसे प्रकरणों में भूमि का भू–उपयोग प्रस्तावित जोनल प्लान में संशोधित कर दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	आवास

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

हाजी तसलीम अहमद 16.02.2010	*1. क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि राज्य में फलोद्यान का क्षेत्रफल निरन्तर कम हो रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है? क्या सरकार बगीचे लगाये जाने हेतु फलोद्यानिकों, किसानों को अनुदान दिये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री मयूख महर 17.02.2010	*2. क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पवन ऊर्जा हेतु विभाग के पास क्या प्रस्ताव है व प्रदेश में पवन ऊर्जा की कितनी सम्भावनायें है तथा वर्तमान में कितनी ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है? क्या सरकार व्यक्तिगत उद्यमियों को पवन ऊर्जा उत्पन्न करने पर कोई सहयोग/प्रोत्साहन देगी? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	वैकल्पिक ऊर्जा
श्री जोत सिंह गुनसोला 22.02.2010	*3. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार कृषकों को निजी विपणन व्यवस्था के चंगुल से मुक्त करने हेतु विपणन की व्यवस्था को कारगर व उपयोगी बनाये जाने पर विचार करेगी? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में समस्त मण्ड़ियों द्वारा जिलेवार ली जाने वाली कुल मण्डी शुल्क व मण्डी सैस से कितनी आय होती है तथा इस आय को किन–किन मदों में कृषकों के हितों के लिए खर्च किया जाता है? यदि नहीं, तो क्या सरकार कृषकों की सुविधाओं पर इसे खर्च करेगी?	कृषि
श्री राजेश जुवांठा 21.01.2010	*4. क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कृषि प्रधान रवांई घाटी में नकदी फसलें जैसे आलू, टमाटर, मटर, चौलाई, गोभी, सेब, आड़ू, नाशपती, खुमानी, चुल्लू, राजमा, छिमी, आदि फसलें उगाई जाती हैं? यदि हां, तो क्या सत्य है कि इन फसलों की बिक्री हेतु सहारनपुर–दिल्ली एवं देहरादून आदि मण्डियों में आना पड़ता है जिससे बचत का आधा हिस्सा किराये में ही चला जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों–काश्तकारों–बागवानों के व्यापक हित को मध्यनजर रखते हुए इस क्षेत्र के पैदावार नगदी फसलों की विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान

अतारांकित प्रश्न

श्रीमती अमृता रावत 15.02.2010	1. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में पशु चिकित्सक विहीन पशु चिकित्सालयों का विकास खण्ड वार विवरण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन पशु चिकित्सालयों में पशुओं की चिकित्सा की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है तथा कब तक इन पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों की तैनाती की जायेगी?	**पशुपालन**
श्रीमती अमृता रावत 15.02.2010	2. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन–कौन से भवनहीन राजकीय पशु चिकित्सालय तथा पशुधन प्रसार केन्द्र है जिनके लिए अभी तक भवनों का निर्माण नहीं किया जा सका है? क्या सरकार के पास उक्त पशु चिकित्सालयों/पशुधन प्रसार केन्द्रों के लिए भवन निर्माण कराये जाने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक उक्त भवन निर्मित कर दिये जायेगे?	**पशुपालन**